458

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2018 पुनरीक्षण I/आराजी/छतरपुर/भू.रा./2018/0417

देवी सिंह पुत्र लाल सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम खड़ेहा तहसील गौरिहार
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह ठाकुर
2. रतन सिंह पुत्र देवी सिंह ठाकुर

दोनों निवासी ग्राम खड़ेहा तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार सरवई जिला छतरपुर द्वारा रा.प्र. कं. 03/अ–6–अ/16–17 में पारित आदेश दि. 26.09.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवेध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, आराजी नं. 683/1, 685, 687 रकवा क्रमशः 0.179 है0, 0.413 है0, 1.028 हे. भूमि स्थित मौजा खड़ेहा तहसील गौरिहार की भूमि पूर्व में आवेदक के पिता लाल सिंह के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित थी लाल सिंह की मृत्यु हो चुकी है उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि आवेदक को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई । जिसका नामांतरण पंजी कमांक 25 में पारित आदेश दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/417 देवीसिंह विरूद्ध राजेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार सरवई जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 03/अ-6अ/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26-09-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 12-01-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

31.01.19

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 31.01.19 सदस्य	